



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265787  
CG-DL-E-29082025-265787

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 587]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

फा. सं. क्यूए-12013/7/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 12 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 97 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 में निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को पूरे भारत में और मान्यता के वैध दायरे के अनुसार रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के कार्यों को करने के लिए अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. सारणी में, क्रम संख्या 22 के पश्चात सम्बंधित स्तंभों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| क्रम सं. | रेफरल खाद्य प्रयोगशाला का नाम एवं पता  | पंजीकरण सं.               |
|----------|--|---------------------------|
| (1)      | (2)  | (3)                       |
| “23      | विक्षेपणात्मक परीक्षण प्रयोगशाला, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एन आई पी आर), बालानगर, मेडचल मल्काजगिरी, हैदराबाद, तेलंगाना | 25/आर/एफ एस एस ए आई/2025  |
| 24       | स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अनुसंधान एवं विक्षेपण  | 26/आर/एफ एस एस एआई/2025 ” |

|  |  |
|--|--|
| हेतु उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय<br>(एनएफएसयू), सेक्टर 9, गांधीनगर, गुजरात |  |
|--|--|

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
[विज्ञापन-III/4/असा./320/2025-26]

**टिप्पण-** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 97(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात और तत्पश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा. सं. क्यूए-12013/7/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 29 मई 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

**F. No. QA-12013/7/2021-QA-FSSAI.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. 97(E) dated the 10th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) on 12th January, 2017, and hereby notifies the following laboratories to carryout functions of referral food laboratory all over India and as per valid scope of accreditation, namely:-

1. In the TABLE, after serial number 22, the following entries shall be inserted in the respective columns, namely: -

| Sr. No. | Name and Address of the Referral Food Laboratory   | Registration no.  |
|---------|--|-------------------|
| (1)     | (2)  | (3)               |
| “23     | Analytical Testing Laboratory, National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Balanagar, Medchal Malkajgiri, Hyderabad, Telangana                    | 25/R/FSSAI/2025   |
| 24      | Centre of Excellence for Research and Analysis of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, National Forensic Sciences University (NFSU), Sector 9, Gandhinagar, Gujarat | 26/R/FSSAI/2025 ” |

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Ext./320/2025-26]

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 97 (E), dated the 10<sup>th</sup> January, 2017 and last amended *vide* notification number F. No. QA-12013/7/2021-QA-FSSAI dated 29<sup>th</sup> May, 2025.